#### सं.-11034/02/2019-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

8081 १९७० मा विभाग अपने अपने अपने राजभाषा विभाग अधिक समावक संस्थानक

विकास समय पर राजभाषा विकार है जिल्ला राजभाषा जीति से सबंधी जारी दिशा-विदेशी

चौथा तल, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक: 3<u>1</u> जुलाई, 2020

## विकास के स्वापनीय सम्बद्ध क्षित्र के नार्यालय ज्ञापन

### विषय : सितंबर, 2020 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के दिनांक 21.04.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा.(क-1) का अवलोकन करें जो सितंबर माह में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के बाद, 14 सितंबर, 1949 को जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, तो इससे हमारे संवैधानिक व प्रशासनिक उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गए। इस दिवस की स्मृति में भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

- 2. आज हिंदी का महत्व राजभाषा, संपर्क भाषा और विश्वभाषा के रूप में बढ़ रहा है| केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग पहले की तुलना में अब कई गुना बढ़ गया है। इस संदर्भ में दोहराया जाता है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों के प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
- 3. सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में, राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने हेतु सितंबर, 2020 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन करें। इन कार्यक्रमों की अविध इस प्रकार रखी जाए कि "हिंदी दिवस" (14 सितंबर) इस अविध के दौरान शामिल रहे। इस दौरान इस तरह के आयोजन किए जाएं, जो अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी में मौलिक कार्य को जैसे टिप्पणी, मसौदे, पत्राचार और प्रपत्र को बढ़ाना है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी कार्मिकों को राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 और समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति से संबंधी जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के प्रयत्न किए जाएं। साथ ही उनके सरकारी कार्य में सरल हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाए। राजभाषा के रूप में सरकारी काम-काज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी सरल, सहज एवं आम जनता की समझ में आने वाली होनी चाहिए। विरुट अधिकारियों की बैठक में राजभाषा नीति जोिक, प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सदभावना पर आधारित है, के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए।

- 5. हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के दौरान, अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदर्शन हेतु, हिंदी भाषा में कुछ प्रमुख सुक्तियों के कम से कम दस पोस्टर/बैनर/स्टैन्डी अथवा एक-दो डिजीटल डिस्प्ले बनवाए जाएं। इन्हें प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं तािक हिंदी के प्रति यह हमारे सांविधिक एवं संवैधानिक बाध्यता का स्मरण कराएं, हमारे कािर्मिकों को हिंदी में अधिक से अधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। प्रमुख हस्तियों की कुछ सुक्तियाँ सभी मंत्रालयों/विभागों हेतु संलग्न हैं तािक वे इन्हें प्रदर्शित कर सकें, यि मंत्रालयों/विभागों के पास अपेक्षित सुक्तियां उपलब्ध नहीं हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर भी ये सुक्तियाँ उपलब्ध हैं।
- 6. सभी से अनुरोध है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों को यथासंभव ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए जाएं।
- 7. हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वितीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को भी अवगत कराएं।

संलग्न : यथोक्त साराज स्ट्रांस अस्ताम स्वास्त्र से शिक्षा स्ट्र (स्वताम स्ट्रांस स्ट्रांस

(डॉ. सुमीत जैरथ)

सचिव, राजभाषा विभाग

## हिंदी भाषा से संबंधित सूक्तियाँ

राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।
 महात्मा गांधी

2. भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।

नरेंद्र मोदी (प्रधान मंत्री)

 भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।
 अमित शाह (गृह मंत्री)

4. हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है। मदन मोहन मालवीय

5. हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।

पुरूषोत्तम दास टंडन

6. हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।

सुमित्रानंदन पंत

7. हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

डॉ सम्पूर्णानन्द

8. भारतीय भाषाएँ नदियां हैं और हिंदी महानदी।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर

9. हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है।

मौलाना हसरत मोहानी

10. हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

स्वामी दयानंद

11. समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है। जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर 12. वहीं भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है।

पीर मुहम्मद मूनिस

भाषा की सरलता. सहजता और घालीनता अभिवयंक्ति को सार्थकता प्रदान करती 13. देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है।

रविशंकर शुक्ल

14. हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

डॉ राजेन्द्र प्रसाद

15. आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। नित्रम् मितिन् मितिन्

महावीर प्रसाद द्विवेदी

No.11034/02/2019-OL(Policy)
Government of India
Ministry of Home affairs
Department of Official Language

\*\*\*

4<sup>th</sup> Floor, NDCC- II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Dated: 31st July, 2020

# Office Memorandum

Subject: Organization of Hindi Diwas / Week / Fortnight/ Month in September 2020

Please refer to Department of Official Language **OM No.1/14034/2/87-OL (A-1) dated 21.04.1987** regarding organization of Hindi Diwas / Week / Fortnight / Month in the month of September . It is a well known fact that Hindi has played an important role in Nation Building. On 14th September 1949 after independence, when the Constituent Assembly adopted Hindi as the Official Language of the Union, Our constitutional and administrative responsibilities have increased manifold. To commemorate this day Government of India celebrates 14<sup>th</sup> of September every year as 'Hindi Diwas'.

- 2. Today, the importance of Hindi as an official language, link language and world language is increasing gradually. Over the period, the use of Hindi in Central Government Offices has increased manifold. In this context, it is reiterated that as per Rule 12 of the Official Language Rules 1976, it is the responsibility of the Head of all Central Government Offices to ensure the compliance of Official Languages Act 1963, Rules and the instructions issued by the Department of Official Language from time to time.
- 3. In the light of the aforesaid, all the Ministries/Departments are requested to organize Hindi Diwas / Week / Fortnight / Month in September 2020 for creating an encouraging environment in order to propagate and promote the use of Hindi language. The duration of celebrations should be in such a way that 'Hindi Diwas' (14th September) is included in this period. Programmes which motivate the officers and employees for using Hindi language may be organized during this period. Besides this, the focus of this programme should be on promoting original work in Hindi such as notings, draftings, correspondence and proformas.
- 4. All Ministries/ Departments may make efforts to acquaint all the officials with the Constitutional Provisions regarding Official language; Official

Languages Act 1963; Official Language Rules 1976; Official Language Resolution 1968 and instructions issued by Department of Official Language from time to time regarding Official language policy. Further they should give special emphasis on the use of simple Hindi in their official work. Hindi used in official work should be simple, common and easily understood by the general public. Discussion may also be held in the Senior Officers Meeting (SOM) on our Official Language policy which is based on inspiration, encouragement and goodwill.

- 5. During Hindi Diwas / Week/ Fortnight / Month besides other activities all the Ministries/Departments may make at least ten posters / banners / standees or one-two digital displays for displaying important quotations in Hindi. These may be displayed in prominent locations to remind us about our constitutional and statutory obligations towards Hindi; inspire and motivate our officials to transact more and more of their official work in Hindi. Some quotations of eminent personalities are hereby enclosed for all the Ministries/Departments so that they may use them if the Departments/ Ministries do not have requisite quotations with them. These quotations are also available on the website of the Department of Official Language.
- 6. In view of the present COVID-19 Pandemic, all are requested that Online programmes should be organized as far as possible keeping in view the directions and Standard Operating Procedures (SOPs) issued by the Central Government from time to time.
- 7. Ministries/Departments may also issue necessary instructions to their Subordinate Offices, Public Sector Undertakings, Nationalised Banks and Financial Institutions etc. for effective and extensive promotion and propagation of Hindi. It is also requested that the action taken in this regard may kindly be intimated to the Department of Official Language.

(Dr. Sumeet Jerath) | 07 | 2020 Secretary(OL)

Encl: As above

officers and employees for using Hindi language may be organized during the

All Secretaries to Government of India